

फर्जी जातिगत दावों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग

सामान्य अध्ययन – पेपर 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

कीवर्ड : जाली जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह, चंद्रभान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2017, तकनीक-संचालित समाधान, आधार, ब्लॉकचेन तकनीक।

संदर्भ:

- नकली जाति प्रमाण-पत्र का चलन भारत में आम है। समय-समय पर मीडिया में उन लोगों की आश्चर्यजनक संख्या सामने आती है, जिन्होंने सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों जैसे **अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी)** के लिए आरक्षित नौकरियों और शिक्षा के लिए आरक्षित सीटों का लाभ उठाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं।

स्थिति कितनी गंभीर है?

- महाराष्ट्र में, यह पाया गया कि 11,700 सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी पाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था।
- पिछले **चार दशकों में**, अनुमान है कि 10 लाख लोगों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।
- इसी तरह के खुलासे हाल ही में बैंगलोर में हुए, जहां 591 ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जिनमें से कुछ सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।
- चुनाव जीतने के लिए **फर्जी जाति प्रमाण पत्र** का उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्य विधायक और संसद सदस्य जांच के दायरे में आ गए हैं।
 - उदाहरण के लिए, **विधायक पार्थ दास को 2018 में चुनाव लड़ने के लिए नकली एससी प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया था (देब, 2018)।**
 - अनुमान के मुताबिक जालसाजी की घटनाएं बहुत अधिक हैं, और कई पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड:

- फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ **सुप्रीम कोर्ट** ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
- यह फैसला दिया गया है कि जहां किसी को भी शैक्षणिक संस्थानों या नौकरियों में प्रवेश पाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने का दोषी पाया जाता है, वह डिग्री या नौकरी खो देगा (चंद्रभान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2017)।

नकली जाति प्रमाण पत्र क्यों मायने रखते हैं?

- **सामाजिक न्याय में बाधा:**
 - जाति प्रमाण पत्र जाली करने का कदाचार प्रभावी आरक्षण में बाधा डालता है।
 - भारत के आरक्षण कोटा कार्यक्रम में बड़े संसाधन लगाए जाते हैं; देश की आधी शैक्षिक क्षमता और सरकारी नौकरियां सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए निर्धारित की गई हैं।
 - हालांकि, जाली जाति प्रमाण पत्र इन प्रयासों के अपेक्षित प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।

- वे लक्षित कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों तक पहुंचने से अवसरों को रोकते हैं। यह सामाजिक न्याय की समस्या को बिना किसी समाधान के उलझा देता है।
- जब शैक्षिक सीटों या सरकारी नौकरियों तक पहुंच प्राप्त करने की बात आती है तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
- **प्रतियोगी परीक्षाओं में वृद्धि की संभावना :**
 - मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सेवा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कट-ऑफ अक्सर सामान्य श्रेणी की तुलना में आरक्षित श्रेणियों (एससी / एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए बहुत कम होती है।
 - उदाहरण के लिए, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2021 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन्स के लिए कट-ऑफ 87.88% थी, जो एसटी उम्मीदवारों के लिए 34.67% थी।
 - इसी तरह, सिविल सेवा प्रीलिम्स के लिए, सामान्य समूह के लिए 2021 की कट-ऑफ 87.54% और एसटी के लिए 70.71% थी।
 - इसका मतलब यह है कि सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ को पास करने की कोई उम्मीद नहीं रखने वाले उम्मीदवार को नकली एससी या एसटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने से, चयनित होने का अवसर मिल सकता है।

इतनी सख्त जांच नहीं:

- जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया कागज पर कठोर है। इसके लिए दस्तावेजों के एक व्यापक अंतर-पीढ़ीगत रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें पहचान, पते और विभिन्न स्थानीय प्रशासन प्रमाणपत्रों से लेकर पिता या रिश्तेदारों के वैधता प्रमाण पत्र तक शामिल हैं।
- दस्तावेजों को जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समितियों द्वारा भी सत्यापित किया जाता है, जो सभी आवेदनों के माध्यम से जाते हैं और फिर उन्हें जारी करने की मंजूरी देते हैं।
- जांच की इस प्रणाली के बावजूद नकली प्रमाण पत्र मौजूद हैं, जो कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसे आवेदकों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान का भाग XVI केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है।
- अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया।
- 103 वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को संविधान में शामिल किया गया है। यह राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में तथा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 335 कहता है कि एससी और एसटी के दावों को प्रशासन की प्रभावकारिता के रखरखाव के साथ लगातार ध्यान में रखा जाएगा।

तकनीक संचालित समाधान की आवश्यकता:

- इस कदाचार को दूर करने की दिशा में पहला उपाय, जाति प्रमाण पत्र को अखिल भारतीय डिजिटलीकरण और सरकारी अधिकारियों के डेटाबेस के निर्माण के साथ ही उसे आधार के साथ लिंक किया जा सकता है। जो इन प्रमाणपत्रों को जारी करने में शामिल हैं।
- यह कई व्यावहारिक दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा।
 - यह एक डिजिटल ट्रेल तैयार करेगा और इन प्रमाणपत्रों को जारी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा।
 - चूंकि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पारिवारिक संबंधों और वंश को साबित करने की आवश्यकता होती है, परिवार के सदस्यों के आधार विवरण को कैप्चर करने से अन्य नकली मामलों की शीघ्र पहचान करने में मदद मिलेगी जहां अन्य प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए समान दस्तावेजों का उपयोग किया गया है।
 - प्रत्येक आरक्षित सीट या नौकरी के लिए, आधार से जुड़े प्रमाणपत्रों का एक केंद्रीय डेटाबेस आवेदकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद कर सकता है।
 - एक अन्य हस्तक्षेप एक सार्वजनिक 'समुदाय-स्तर' प्रामाणिकता जांच के लिए प्रत्येक पंचायत और जिला मुख्यालय पर डेटाबेस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की योजना हो सकती है।
 - इनके अलावा, डिजिटलीकरण से प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को भी विभिन्न सीटों और नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को समझने में सहायता मिलेगी।
 - यह ओबीसी, एससी और एसटी के बीच अपेक्षाकृत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की चिंताओं को कम करेगा।

निष्कर्ष:

- हर साल आरक्षण पर भारी मात्रा में खर्च किए जा रहे संसाधनों के साथ, हमें इसे सख्ती से लागू करने के लिए डेटा एनालिटिक्स के साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली में खामियों का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव है।
- हमारी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में डिजिटलीकरण का उपयोग निम्नलिखित में अत्यधिक सहायक होगा :
 - सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाना,
 - नकली जाति प्रमाण पत्र को व्यवस्था से बाहर निकालना, और
 - प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के आवेदक की प्रामाणिकता की पुष्टि करना।
- यह समय है कि हम सामाजिक न्याय की सहायता में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं।

स्रोत: लाइव मिंट

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 124 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा और रोजगार के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
3. अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1,2 और 3

उत्तर – b

- 103 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को संविधान में शामिल किया गया है। यह राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।) भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश।
- अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. "प्रौद्योगिकी नकली जाति प्रमाण पत्र को खत्म करने में मदद कर सकती है और देश में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में सहायता कर सकती है"। चर्चा कीजिये।

